

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

श्री सोहनलाल सिंगारिया, बांजाकुडी रोड,  
जैतारण 306302

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 84/2019

R.C.M.S. No. --2019/00 222

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/08/19	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 14/8/19 को पेश हो।</p>	<p>1220-21 5181/19</p>
14/8/19	<p>फायली आज पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण से पत्रावली रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पुनः सूचना जारी होकर फायली दिनांक 28/8/19 को पेश हो।</p>	<p>जिला कलेक्टर, पाली</p>
28/8/19	<p>पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान कलेक्टर जैतारण द्वारा पत्रावली पेश की गई है। इल्टवा होकर पत्रावली दिनांक 11/9/19 को पेश हो।</p>	<p>जिला कलेक्टर, पाली</p>
11-9-19	<p>अपीलांत द्वारा यह अपील धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण से उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 14/8/19 को पेश हो।</p> <p>इस न्यायालय द्वारा लिखे जाते या तहसीलदार को सूचना करवाया कि इन चांछित सूचना अपील को जरूर फाइल रखना 2019/840 दि 1-7-2019 के लोकवाही गैर है। कार्यवाही करवा दी जावे। पत्र की प्रति एवं सूचना की प्रति भी गैर है।</p> <p>इसकी तहसीलदार द्वारा चांछित सूचना अपील को उपलब्ध करा दी गई है एवं इस न्यायालय स्तर से कार्यवाही कोपेशित नहीं होने से यह अपील इसी स्तर पर कार्यवाही की जाती है। फायली बुझा फाइल की भांति तहसीलदार से करवा है।</p>	<p>जिला कलेक्टर, पाली</p>